महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय,वर्धा

(संसद द्‌वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्‌यालय)

ज्ञान शांति मैत्री

Mahatama Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya,Wardha

(A Central University Established by Parliament Act No.3 of 1997)

महात्मा गांधी दूरस्थ शिक्षा केंद्र

Mahatma Gandhi Distance Education Centre

प्रबंधन विभाग

Management Department

एमबीए परियोजना : दिशा-निर्देश

MBA Project : Guidelines

पो. हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा (महाराष्ट्र) 442005

Post Hindi Vishwavidhyalay, Gandhi Hills, Wardha (MH) 442005

फोन : (07152) 232957 **फैक्स:** 241040 **वेबसाइट :** www.hindivishwa.org

ईमेल : mgahvmbabba@gmail.com,

छात्र सुविधा हेतु ईमेल : mgahvstudentfeedback@gmail.com

ज्ञान शांति मैत्री

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय,वर्धा

परियोजना : दिशा–निर्देश

प्रस्तावना :

एमबीए पाठ्यक्रम में परियोजना कार्य एक महत्वपूर्ण घटक है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में सैद्धांतिक ज्ञान के साथ–साथ व्यावहारिक ज्ञान को बढ़ावा देना है, जिससे कि विद्यार्थियों में अंतरानुशासनिक सिद्धांतों तथा तकनीकों द्वारा संस्थागत समस्याओं को हल करने की दक्षता उत्पन्न हो सके।

परियोजना कार्य के अंतर्गत क्रेडिट प्वाइंट तथा दो सत्रों (पंचम एवं षष्ठ) का समावेश है जिसे परियोजना पर्यवेक्षक के निरीक्षण में पूर्ण किया जाता है। परियोजना कार्य का सामान्य परिचय निम्नवत है–

सामान्य परिचय

1. परियोजना कार्य एमबीए पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य अंग है।

2. यदि कोई विद्यार्थी परियोजना कार्य के लिए पंजीयन नहीं कराता है तो वह एमबीए पाठ्यक्रम के लिए अपंजीकृत माना जाएगा एवं उसका नामांकन निर्धारित अवधि के पश्चात स्वतः निरस्त मान लिया जाएगा।

3. संबंधित अध्ययन केंद्र द्वारा विद्यार्थियों को परियोजना कार्य पूर्ण करने संबंधी जानकारी नवीनीकरण कार्यक्रम के दौरान बताई जाएगी। इसके अंतर्गत परियोजना कार्य की आवश्यकता, विद्यार्थी द्वारा चयनित परियोजना कार्य के विषय की महत्ता, गुणवत्तापूर्ण परियोजना कार्य के महत्व, उनके चरण, समय सीमा इत्यादि की संपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी। इस सत्र में विद्यार्थियों द्वारा चयनित विषय विशेषज्ञता के अनुरूप ही परियोजना कार्य के विषय का चयन करने पर ज़ोर दिया जाएगा।

4. विषय चयन प्रासंगिक, नए एवं चुनौतिपूर्ण तथ्यों से युक्त हो एवं प्रत्येक छात्र का विषय पृथक–पृथक हो।

5. विद्यार्थियों से मौलिक तथा गुणवत्तापूर्ण परियोजना कार्य तैयार करवाने तथा उन्हें तत्संबंधी सुविधाएँ प्रदान करने का नैतिक दायित्व संबंधित अध्ययन केंद्र का होगा।

6. संबंधित अध्ययन केंद्र के अकादमिक संयोजक/अध्ययन केंद्र के संचालक उपर्युक्त दिशा–निर्देशों का सख्ती से अनुपालन व कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे।

7. यदि परियोजना कार्य की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं होगी तो उसमें आवश्यक सुधार के सुझाव देने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।

8. परियोजना कार्य को हिंदी भाषा में पूर्ण करना अनिवार्य है।

9. जिन छात्रों द्वारा तृतीय वर्ष का शुल्क ₹ 11300/– तथा परियोजना कार्य निर्धारित तिथि तक विश्वविद्यालय में जमा नहीं किया जाएगा, उन्हें अगले वर्ष विलंब शुल्क के साथ ₹ 11600/– तथा परियोजना कार्य ₹ 1500/– पूरक आवेदन के साथ जमा करना होगा।

10. यदि किसी विद्यार्थी द्वारा तृतीय वर्ष में पंजीयन कराने के पश्चात परियोजना कार्य निर्धारित अवधि तक जमा नहीं कराया जाता है तो अगली बार ₹ 1000/– विलंब शुल्क के साथ जमा कराना होगा ।

11. मूंल्याकन के समय विद्यार्थियों के परियोजना कार्य की चार टंकित प्रतियाँ, जिनमें विद्यार्थी तथा परियोजना पर्यवेक्षक के मूल रूप से हस्ताक्षर हों, विश्वविद्यालय में जमा कराने होंगे। परियोजना रिपोर्ट में परियोजना पर्यवेक्षक द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र का होना आवश्यक है जिसमें यह स्पष्ट रूप से लिखित हो कि विद्यार्थियों द्वारा किया गया परियोजना कार्य परियोजना पर्यवेक्षक के मार्गदर्शन (Supervision) में संपन्न किया गया मौलिक कार्य है।

12. परियोजना कार्य तैयार करने संबंधी दिशा–निर्देश परिशिष्ट **'A'** पर दिये गये हैं।

13. परियोजना पर्यवेक्षक द्वारा दिये जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रारूप परिशिष्ट **'B'** में संलग्न है।

14. विद्यार्थियों द्वारा विषय एवं रूपरेखा अनुमोदन हेतु अनुमोदन पत्र भरना अनिवार्य है जिसे परिशिष्ट **'C'** में संलग्न किया गया है। अनुमोदन पत्र के साथ रूपरेखा (Synopsis) जमा कराना अनिवार्य है।

मूल्यांकन पद्धतियाँ (मूल्यांकन के दिशा–निर्देश)

15. मूल्याकंनकर्ता परियोजना कार्य की प्रविधि पर ज़ोर देने के साथ–साथ इसकी वैधता तथा विश्वसनीयता पर भी प्रकाश डालेंगे।

16. परियोजना कार्य में आद्यांत व्यावहारिक उपयुक्तता, सीमाओं एवं संभावनाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। साथ ही परियोजना कार्य की रूपरेखा के सत्यापन एवं मूल्यांकन पर भी बल दिया जाएगा।

17. परियोजना कार्य हेतु प्रस्तुत समस्त विवरण एवं संदर्भ वास्तविक एवं विषय से संबंधित हों।

18. परियोजना कार्य का मूल्यांकन निम्नांकित तीन पद्धतियों पर आधारित है–

- शीर्षक एवं रूपरेखा का अनुमोदन
- आंतरिक मूल्यांकन एवं
- अंतिम मूल्यांकन

शीर्षक एवं रूपरेखा

परियोजना प्रस्ताव– विषय को अंतिम रूप देने एवं परियोजना पर्यवेक्षक के चुनाव के उपरांत विद्यार्थी परियोजना प्रारूप प्रपत्र के साथ रूपरेखा अध्ययन केंद्र में जमा कराएँगे। प्रस्तावित परियोजना पर निर्णय लेने का अधिकार संयुक्त रूप से विश्वविद्यालय, परियोजना पर्यवेक्षक तथा अध्ययन केंद्र के पास सुरक्षित है। अंतिम निर्णय विश्वविद्यालय का होगा।

परियोजना पर्यवेक्षक– विद्यार्थियों को यह सुझाव दिया जाता है कि वे उन व्यक्तियों को ही अपने परियोजना पर्यवेक्षक के रूप में चुनें जो उनके द्वारा किए जा रहे शोध में विशेषज्ञता रखते हों।

किसी भी व्यक्ति–विशेष के परियोजना पर्यवेक्षक बनने के लिए यह आवश्यक है कि वे संबंधित क्षेत्र में स्नातकोत्तर उपाधिधारक हों, अकादमिक परामर्शदाता हों एवं म ग अ हि वि द्वारा इस कार्य हेतु मान्यता प्राप्त हों। **अध्ययन केंद्रों को सुझाव दिया जाता है कि वे परियोजना पर्यवेक्षक का आत्मवृत्त विश्वविद्यालय से समय से अनुमोदित करा लें। किसी भी पर्यवेक्षक के पास एक ही समय में पाँच या पाँच से अधिक परियोजनाएं नहीं होनी चाहिए।**

परियोजना पर्यवेक्षक हेतु योग्यताएँ :

1. यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, कॉलेज या संस्था के प्राध्यापक/प्रबंधक/समन्वयक जिनके पास न्यूनतम 05 वर्ष का अध्यापकीय/प्रबंधकीय अनुभव हो।
2. किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सरकारी विभाग या स्वयं सेवी संस्था में इंजीनियरिंग स्नातक या मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त व्यक्ति जिनके पास संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम 05 वर्ष का प्रबंधकीय कार्यानुभव हो।
3. उपर्युक्त श्रेणी के अवकाश प्राप्त व्यक्ति भी परियोजना पर्यवेक्षक बन सकता है।

परियोजना की रिपोर्ट

निरूपण– वर्ष के अंत में ए–4 साइज, 1.5 (Space) तथा कृतिदेव या समकक्ष फोंट (फोंट साइज़ 12) में परियोजना रिपोर्ट अधिकतम 100 पृष्ठों की जो अधिकतम 20,000 शब्दों की होगी (परिशिष्ट एवं प्रदर्श सहित), चार प्रतियों में तैयार करनी होगी। परियोजना रिपोर्ट के साथ निम्नलिखित संलग्नक आवश्यक है–

- प्रस्ताव प्रपत्र की प्रति तथा रूपरेखा
- परियोजना कार्य की मौलिकता का प्रमाणपत्र

(क) शीर्षक– शीर्षक संक्षिप्त एवं युक्तिसंगत हो। यह चयनित विषय, उद्यम तथा अध्ययन–क्षेत्र को पूर्ण रूप से द्योतित करने वाला हो। चयनित शीर्षक अध्ययन की व्यापकता को उजागर करने वाला होना चाहिए। उत्तम शीर्षक संप्रेषण के माध्यम के रूप में लोगों का ध्यान आकर्षित करने का अच्छा उपकरण है। अतः इसका प्रारूप सावधानी पूर्वक तैयार किया जाना आवश्यक है।

(ख) रूपरेखा (Synopsis)

प्रस्तावित विषय या केंद्रीय सवाल परियोजना के समग्र लक्ष्य को द्योतित किए जाने वाले हों। पहले कुछ पैराग्राफ में मुख्य समस्याओं का स्पष्ट रूप से वर्णन आवश्यक है। मुख्य लक्ष्य एक विशेष क्षेत्र के बारे में ज्ञान का विकास या किसी समस्या–समाधान विश्लेषण के मूल्यांकन पर आधारित होना चाहिए।

रूपरेखा में परियोजना कार्य की आवश्यकता, किसी संगठन में उद्भूत केंद्रीय समस्या तथा उसके निवारण करने के संक्षिप्त नोट का उल्लेख हो ।

इस रूपरेखा में वांछित दृष्टिकोण, स्रोतों की जानकारी और परिणामों की अपेक्षा स्पष्ट रूप से चित्रित होनी चाहिए।

(ग) उद्देश्य– अंतर अनुशासनिक सिद्धांतों तथा तकनीकों द्वारा किसी कंपनी का मूल्य वर्धन/समस्या समाधान परियोजना कार्य का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए।

(घ) रूपरेखा में अध्ययन की सीमाओं व संभावनाओं का स्पष्ट रूप से उल्लेख अनिवार्य है।

(च) पद्धति– रूपरेखा में संभावित रणनीतियों एवं उनके विश्लेषणात्मक उपकरणों को नियोजित करने की पद्धति पर बल दिया जाना चाहिए।

(छ) रूपरेखा के अंतर्गत डेटा या जानकारी अथवा इनको एकत्रित करने तथा समस्या समाधान पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

(ज) संदर्भित पुस्तकों, आधार ग्रंथों, पत्र पत्रिकाओं तथा वेबसाइट का विवरण वर्णमाला क्रम में सूचीबद्ध होने चाहिए।

परियोजना मूल्यांकन

आंतरिक मूल्यांकन :

अध्ययन केंद्र द्वारा आंतरिक मूल्यांकन प्रदान किए जानेवाले अंक –

• परियोजना की उपयोगिता, लक्ष्य तथा उद्देश्य	48 अंक
• आँकड़ा संग्रह विश्लेषण तथा निर्वाचन हेतु अपनायी गयी शोध प्रविधि	48 अंक
• परियोजना के उद्देश्य के संदर्भ में विश्लेषण की उपयोगिता	48 अंक
• पर्यवेक्षक का अवलोकन	48 अंक
• रिपोर्ट	48 अंक
कुल :	240 अंक

विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए जानेवाले अंक –

बाह्य मूल्यांकन :

• परियोजना कार्य की उपयोगिता, उद्देश्य तथा लक्ष्य	60 अंक
• आँकड़ा संग्रह विश्लेषण तथा निर्वाचन–पद्धति	100 अंक
• परियोजना के उद्देश्यों के संदर्भ में विश्लेषण की उपयोगिता	100 अंक
• पहलकदमी	100 अंक
• रिपोर्ट	100 अंक
• संपूर्ण प्रस्तुतीकरण	100 अंक
कुल :	560 अंक

परियोजना कार्य का आंतरिक मूल्यांकन आंतरिक परीक्षक अथवा अध्ययन केंद्र द्वारा इस कार्य हेतु नियुक्त व्यक्ति से करवाया जाएगा। मौखिकी के उपरांत कुल 240 अंकों में से प्राप्त अंक अध्ययन केंद्र द्वारा विश्वविद्यालय को भेज दिए जाएँगे। वे परियोजना कार्य जो असंतोषप्रद पाए जाएँगे उन्हें परियोजना कार्य, विश्वविद्यालय द्वारा सुझाए गए सुझावों के साथ पुनः जमा करना होगा। संशोधित परियोजना कार्य के मूल्यांकन हेतु अलग से शुल्क ₹1000/– जमा करना अनिवार्य है।

पूछताछ– विद्यार्थी अध्ययन केंद्र से अपने परियोजना प्रस्ताव की अनुशंसा तथा परियोजना की रिपोर्ट इत्यादि की जानकारी प्राप्त कर सकते/सकती हैं।

परिशिष्ट–A

परियोजना रिपोर्ट के दिशा–निर्देश

परियोजना कार्य को निर्धारित समयावधि के दौरान पूर्ण कर संबंधित केंद्र पर जमा करना होगा। विद्यार्थी यह ध्यान रखें कि उनके द्वारा जमा किया गया परियोजना कार्य गुणवत्ता पूर्ण हो।

सामान्य रूप में परियोजना कार्य के प्रतिवेदन (Report) को निम्नलिखित भागों में विभाजित कर तैयार किया जाता है–

- परियोजना विषय पृष्ठ (Title Page/ Cover Page)
- अनुक्रमणिका तालिका (Table of Content)
- परिचय (Introduction)
- उद्देश्य (Objectives)
- अनुसंधान/शोध योजना एवं अनुसंधान प्रक्रिया/योजना (Research, Design & Methodology)
- प्रयोगसिद्व विश्लेषण (Empirical Analysis)
- निष्कर्ष परिणाम एवं सुझाव (Finding & Suggessions)
- निष्कर्ष एवं अनुशंसा (Conclusion and Recommendations)
- परिशिष्ट (Appendix)
- संदर्भ सूची (References)
- शब्दावली (Glossary)

1 **मुख पृष्ठ (Title Page/ Cover Page)**– यह परियोजना कार्य का प्रथम पृष्ठ होता है, जिसमें विद्यार्थी का नाम, पर्यवेक्षक का नाम, परियोजना शीर्षक, पाठ्यक्रम के नाम आदि का समावेश होता है।

2 अनुक्रमणिका तालिका (Table of Content) – इसका लक्ष्य पाठक को संक्षेप में प्रस्तावित कार्य के समस्त विवरण प्रदान करना है। इसे मुख्य खंड एवं उपखंडो का पृष्ठ क्रमांक के अनुसार प्रस्तुत करना होता है, जिससे पाठक किसी खंड या उपखंड पर आसानी से पहुँच सके। सचित्र, रेखाचित्र, अन्य तालिका आदि का अलग से विवरण सारिणी एवं उदाहरण सूची इस अनुक्रमणिका तालिका के अंतर्गत प्रस्तुत करना होता है।

3 परिचय (Introduction)– इसके अन्तर्गत प्रस्तावित विषय तथा उससे संबंधित कंपनी उद्योग आदि का विस्तृत परिचय देना होता है।

4 उद्देश्य (Objectives) – इस खंड में शोधार्थी अपने चयनित विषय/शोध शीर्षक का उद्देश्य स्पष्ट करता है। उद्देश्यों में अपेक्षित परिणाम या संभावित परिणाम या चयनित कंपनी के उद्योग का विकास, समृद्धि या उनके लिए कुछ सैद्वान्तिक नियम आदि हेतु दिये जाने वाले सुझाव हो सकते हैं।

5 शोध/अनुसंधान योजना (Research Methodology) – इस खंड के अन्तर्गत विद्यार्थी द्वारा शोध हेतु बनाई गई योजना का विस्तृत वर्णन होता है। शोध/अनुसंधान हेतु प्रयोग में लायी गयी तकनीक जैसे नमूना, आकार, शोध/अनुसंधान क्षेत्र, अनुसंधान के चरणों, अनुसंधान हेतु बनाए गए प्रश्नों, प्रश्नावली का समावेश भी इसमें होता है। रिपोर्ट के अंतर्गत आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण सुगठित, व्यवस्थित एवं तर्क पूर्ण होने चाहिए। सामान्य रूप में इसके अंतर्गत विभिन्न खंड होते हैं जिन्हें उप–खंडों में विभाजित करके प्रस्तुत किया जाता है।

6 प्रयोगात्मक विश्लेषण (Empiricial Analysis)– इस खंड के अन्तर्गत विद्यार्थियों द्वारा जमा किए हुए तथ्यों का प्रयोग परिकल्पना, सांख्यिकी नियम एवं सूत्र के आधार पर किया जाता है। यह परियोजना का महत्वपूर्ण कार्य है। इस खंड के अंतर्गत अपने अध्ययन को लेकर विद्यार्थी तर्कपूर्ण निष्कर्ष तक पहुँच जाता है।

7 निष्कर्ष परिणाम एवं सुझाव (Findings and Suggessions)– निष्कर्ष के अंतर्गत विद्यार्थी द्वारा किसी तर्कपूर्ण निष्कर्ष पर पहुँच कर उसका विवरण लिखा जाता है। सुझाव के अंतर्गत शोधार्थी द्वारा शोध किए

गए बिंदुओं/पहलुओं को संस्था/कंपनी/उद्योग के विकास एवं उन्नति के लिए परामर्श भी दीया जा सकता है। परिणामों का प्रस्तुतीकरण सरल एवं समझने योग्य होना चाहिए जिसे निम्नांकित रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है–

- सारिणी (Table)
- बिंदु रेख (Graphs)
- सचित्र (Charts)
- रेखाचित्र (Diagram)

8 निष्कर्ष एवं अनुशंसा (Conclusion and Recommendations) – निष्कर्ष एवं अनुशंसा दोनों ही संपूर्ण परियोजना कार्य के अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। निष्कर्ष शोधार्थी द्वारा शोध किए गए डाटा/तथ्यों के विश्लेषण एवं व्याख्या के बाद ही प्रस्तुत किए जाते हैं। यह शोधार्थी के लिए उपयोगी है यदि उसने प्रस्तावित निष्कर्ष एवं अनुसंधान के अलावा कोई अन्य विकल्प या आँकड़ों का संग्रहण किया हो।

9 परिशिष्ट (Appendix) – परिशिष्ट में उन तथ्यों का समावेश होना चाहिए जिनका उपयोग शोधार्थी/विद्यार्थी द्वारा रिपोर्ट बनाने में किया गया हो। जो तथ्य मुख्य निष्कर्ष में आवश्यक न हों और शोधार्थी द्वारा उसका प्रयोग प्रमुख कार्य में किया गया हो, का उल्लेख परिशिष्ट के अंतर्गत किया जाता है। निम्न को साधारणतः परिशिष्ट में सम्मिलित किया जाता है –

- प्रवाह सचित्र
- प्रश्नावली
- गणनाएँ
- शब्दावली

10 संदर्भ (References) – इस खंड में संबंधित परियोजना कार्य में उपयोग में लायी गयी आधार पुस्तकों, पत्र–पत्रिकाओं, संदर्भित ग्रंथों आदि का विवरण देना होता है।

11 शब्दावली (Glossary) – इस खंड में उक्त कार्य में उपयोग किए गए तकनीकी शब्दों का विस्तृत अर्थ एवं विवरण होता है।

महत्वपूर्ण तिथियाँ :

परियोजना पर्यवेक्षक अनुमोदन हेतु विश्वविद्यालय में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	20 जनवरी 2012
परियोजना पर्यवेक्षक का अनुमोदन	31 जनवरी 2012
परियोजना कार्य हेतु रूपरेखा अनुमोदन पत्रक भरकर विश्वविद्यालय में जमा कराने की अंतिम तिथि	20 फरवरी 2012
अनुमोदित विषय के साथ छात्रों की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित करने की अंतिम तिथि	28 फरवरी 2012
परियोजना कार्य अध्ययन केंद्र में जमा करने की अंतिम तिथि	15 जून 2012
आंतरिक मूल्यांकन के अंकों सहित परियोजना प्रतिवेदन (Report) विश्वविद्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि	30 जून 2012
परिणाम घोषित करने की अंतिम तिथि	अगस्त 2012

ज्ञान शांति मैत्री

ज्ञान शांति मैत्री

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय,वर्धा

परिशिष्ट–B

परियोजना पर्यवेक्षक द्वारा दिये जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/श्रीमती.. वर्ष 2009 में एमबीए पाठ्यक्रम में .... अध्ययन केंद्र में पंजीकृत हैं। इनकी नामांकन संख्या...तथा पंजीयन संख्या ....है। प्रस्तुत परियोजना कार्य का विषय ''...
....
....
....
....'' है, जिसे इस छात्र/छात्रा द्वारा मूल रूप से मेरे निरीक्षण में पूर्ण किया गया मौलिक कार्य है। मैं इस कार्य को मूल्यांकन हेतु, संस्तुतिपूर्वक अग्रेषित करता हूँ।

परियोजना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

नाम (हिंदी)...

(English)...

परिशिष्ट–C

आवेदन पत्र विश्वविद्यालय में जमा कराने की अंतिम तिथि : 20 फरवरी 2012

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

महात्मा गांधी दूरस्थ शिक्षा केंद्र

विषय एवं रूपरेखा अनुमोदन पत्रक

(एमबीए-तृतीय वर्ष)

विद्यार्थी का स्वहस्ताक्षारित फोटो

पाठ्यक्रम का नाम एवं कोड : ....

पंजीयन संख्या : ....

नामांकन संख्या : ....

1. विद्यार्थी का नाम श्री /कुमारी/श्रीमती : ....
2. अध्ययन-सत्र : ....
3. अध्ययन केंद्र : ....
4. स्थायी पता : ....

   ....

   फोन नं.. ई-मेल ....
5. पत्राचार का पता : ....

   ....

   फोन नं.. ई-मेल ....
6. आवेदक की रोज़गार-स्थिति :..

   पदनाम :.. कार्यालय का पता :..

7. परियोजना विषय-क्षेत्र (विषय विशेषज्ञतानुसार) :...

8. परियोजना-शीर्षक : ....

....

....

9. परियोजना पर्यवेक्षक का नाम एवं पता जिनके निरीक्षण में परियोजना कार्य किया जाना है :...........................

....

....

....

10. घोषणा

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं जिस परियोजना कार्य को करना चाहता/चाहती हूँ उससे संबंधित समस्त जानकारियाँ एवं योग्यताओं को मैंने समझ व जान लिया है। मैं संबंधित परियोजना के लिए आवश्यक योग्यता रखता/रखती हूँ, तथा इसके लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध करा रहा/रही हूँ। अगर कोई जानकारी गलत या भ्रामक पायी जाए, तो विश्वविद्यालय किसी भी समय मेरी परियोजना को रद्द कर सकता है। मैं विश्वविद्यालय को दिए गए किसी भी शुल्क को पुनः प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होऊँगा/होऊँगी। मैंने विवरणिका में दिए नियमों तथा परियोजना कार्य के दिशा–निर्देशों को सावधानी से पढ़ लिया है और मैं इसे स्वीकार करता/करती हूँ साथ ही भविष्य में इन नियमों को लेकर कोई विवाद नहीं करूँगा/करूँगी। आवेदन में दी गयी समस्त जानकारियाँ तथा उनके समर्थन में संलग्न दस्तावेज़ मेरी जानकारी में संपूर्ण एवं सही हैं। इस पत्रक के साथ में विषय संबंधी रूपरेखा (Synopsis) भी जमा कर रहा हूँ।

....

विद्यार्थी के हस्ताक्षर

<u>पर्यवेक्षक द्वारा घोषणा</u>

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि छात्र/छात्रा .... का परियोजना कार्य मेरे निरीक्षण में पूर्ण किया जा सकता है। इस परियोजना कार्य को पूर्ण कराने संबंधी समस्त जानकारियाँ एवं योग्यताओं को मैंने समझ व जान लिया है। मैं संबंधित परियोजना के लिए आवश्यक योग्यताएँ रखता/रखती हूँ।

....

पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

अध्ययन केंद्र द्वारा घोषणा

उक्त कार्य हेतु अध्ययन केंद्र द्वारा परियोजना कार्य से संबंधित आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाएगी ।

....

.

अध्ययन केंद्र प्रमुख के हस्ताक्षर
दिनांक एवं मुहर सहित